

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. ...(अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित 'सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2941 90 30 के अंतर्गत आती है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्ष संख्या 6/36/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 जून, 2020, जिसे 15 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम तौर पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात बहुत सस्ते मूल्य पर किया गया है;
- (ii) इससे यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति इसके पाटित आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29419030	सिप्रोफ्लोक्ससिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शांगयू जिंगशीन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड	2.41	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
2	29419030	सिप्रोफ्लोक्ससिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजिआंग लांगहुआ फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड	0.94	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
3	29419030	सिप्रोफ्लोक्ससिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजिआंग गुओबांग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड	1.90	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
4	29419030	सिप्रोफ्लोक्ससिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	3.29	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.
5	29419030	सिप्रोफ्लोक्ससिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	3.29	अमेरिकी डालर	कि.ग्रा.

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/95/2020 -टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार